समाहरणालय, मधेपुरा
(पंचायत कार्यालय)
–:आदेशः–

अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के आवंटनादेश संख्या-24(आ0), दिनांक -05.09.2016 द्वारा विभागीय राज्यादेश संख्या-11, दिनांक 31.08.2016(संलग्न) के क्रम में गैर योजना मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-198 ग्राम पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0010-ग्राम कचहरी के विभिन्न मदों हेतु'' के 3106-सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा'' इकाई मद के अन्तर्गत **वित्तीय वर्ष 2016-17** में **ग्राम कचहरी सचिव के नियत मानदेय हेतु 6000/-(छः हजार) रू0 प्रतिमाह** की दर से एवं **ग्राम कचहरी न्यायमित्र के नियत फीस भुगतान हेतु 7000/-(सात हजार) रू0 प्रतिमाह** की दर से मधेपुरा जिलान्तर्गत प्राप्त आवंटन मो0 **1,54,00,000/-(मो0 एक करोड़ चौवन लाख रूपये मात्र)** को निम्न प्रकार प्रखंड विकास पदाधिकारियों को उनके प्रखंड के नाम के सामने उपावंटित किया जाता है :-

क्र0	प्रखंड का नाम	नियोजित ग्राम कचहरी सचिवों की संख्या	ग्राम कचहरी सचिव के लिए उपावंटित राशि	नियोजित ग्राम कचहरी न्यायमित्र की संख्या	ग्राम कचहरी न्याय मित्र के लिए उपावंटित राशि	कुल उपावंटित राशि
1	मधेपुरा	16	768000	17	952000	**1720000**
2	घैलाढ़	6	288000	8	448000	**736000**
3	सिंहेश्वर	11	528000	11	616000	**1144000**
4	शंकरपुर	7	336000	6	336000	**672000**
5	गम्हरिया	4	192000	4	224000	**416000**
6	मुरलीगंज	16	768000	16	896000	**1664000**
7	कुमारखंड	20	960000	17	952000	**1912000**
8	ग्वालपाड़ा	11	528000	9	504000	**1032000**
9	बिहारीगंज	10	480000	11	616000	**1096000**
10	पुरैनी	9	432000	8	448000	**880000**
11	चौसा	12	576000	13	728000	**1304000**
12	उदाकिशुनगंज	13	624000	15	840000	**1464000**
13	आलमनगर	12	576000	14	784000	**1360000**
	कुल योगः-	**147**	**7056000**	**149**	**8344000**	**15400000**

(मो0 एक करोड़ चौबन लाख रूपये मात्र)।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-एम-4-05/98-2561 वि(2), दिनांक 17.04.1998 एवं 423, दिनांक- 31.03.2016, 2063 दिनांक 11.03.2016, 2793 दिनांक 04.04.2016 तथा 4572 दिनांक 03.06.2016 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

3. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ग्राम कचहरी में कार्यरत ग्राम कचहरी सचिव/न्यायमित्रों के मानदेय/ फीस के भुगतान हेतु भुगतेय राशि का वस्तुपरक आकलन कर लेंगे एवं तद्नुरूप भुगतान करने हेतु आवश्यक राशि संबंधित ग्राम कचहरी को एकाउन्ट पेयी चेक के रूप में अथवा आर0टी0जी0एस0/ एन0ई0एफ0टी0 द्वारा अंतरण के माध्यम से पूरी छानबीन एवं जांच-पड़ताल के बाद उपलब्ध करायेंगे। साथ ही यह भी सुनिश्चित करेंगे कि ग्राम कचहरी के खाते में राशि हस्तांतरित कर दिये जाने के

अधिकतम सात दिनों के अंदर संबंधित ग्राम कचहरी द्वारा यथास्थिति ग्राम कचहरी सचिव/ ग्राम कचहरी न्यायमित्र को मानदेय/ फीस के रूप में अनुमान्य राशि का भुगतान एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से अनिवार्य रूप से कर दिया जाये। यदि कोई अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

4. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले विपत्रों पर शीर्ष आदि, ईकाइयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाय ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढ़ंग से हो सके।

5. वित्तीय नियमावली, बजट मेनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानो तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके। व्यय विवरणी /उपयोगिता प्रमाण प्रत्येक माह के दो तारीख तक एवं प्रत्यार्पण प्रतिवेदन दिनांक-25.03.2017 तक निश्चित रूप से अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

6. इसकी मांग संख्या-16 एवं विपत्र कोड संख्या-**एन 251500198001 0** है।

ह0/-

जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 1261/पं0, मधेपुरा, दिनांक 29/09/2016

प्रतिलिपि :- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा एवं उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं सभी संबंधितों को ई-मेल तथा मधेपुरा के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
मधेपुरा।

29/09/16